स्मरण पत्र

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांकः–एफ 3(2)( )बजट/सान्याअवि/2020–21 /2684-3004 जयपुर,दिनांकः 10-8-2020

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,
प्रधानाचार्य, समस्त राज. आवासीय विद्यालय,
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषयः– राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में शुद्वता प्रतिस्थापित करने एवं कर्मचारियों के मास्टर डाटा में संशोधन की प्रकिया के सम्बंध में।

प्रसंगः– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के **Circular No F 5 (थ-75)/DTA/IFMS/3666-4165 date 13-09-2019** एवं **F 5 (थ-75)/DTA/IFMS/**पे–मैनेजर/ **9023-9522date23-01-2020**,12031–12181 दि0 17.03.2020,226–425दि0 15.4.20, 2287–2436 दि0 26.06.20,3314–3541 दि0 22.07.20 तथा विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2019, 03.01.20, 08.01.20, 04.02.20, 20.03.20,11.05.20 एवं 01.07.20 के क्रम में।

JDCT

11-8-20

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के प्रासंगिक परिपत्रों को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्देशों की पालना तथा HOD रजिस्ट्रेशन, पे मैनेजर पर उपलब्ध मास्टर डाटा की शुद्वता, कार्यालयवार पद वितरण तथा मास्टर डाटा की जॉच कर अधिकृत किये जाने एवं अन्य राजकीय भुगतानों के डेटा की पूर्ण शुद्वता(मय बैंक खातों के विवरण सहित) सुनिश्चित करे। वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के संशोधन दिनांक 22.07.20 के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों में इस हेतु नियत अवधि में एक बार पुनः संशोधन करते हुये संवेतन माह सितम्बर 2020 देय माह अक्टूबर 2020 कर दिया गया है परन्तु इस अवधि तक समस्त कार्मिकों के मास्टर डाटा की अधिकृति एवं वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.5 **(थ-75)/डीटीए/IFMS/ 3666-4165 date 13-09-2019** में वर्णित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाना है। अतः उपरोक्त प्रासंगिक परिपत्रों को गंभीरता से लिया जावे एवं उनमें दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–3005-16 10-8-2020

1. अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अति0/उप निदेशक,पिछडीजाति/अत्याचार निवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा /छात्रवृत्ति एवं छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/पेंशन/योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई0टी0)को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार